मतगणना अभिकर्ताओं के लिए हस्तपुस्तिका

(उन निर्वाचनों में, जहाँ इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयुक्त की जाती है)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग

2009

(पुनः मुद्रित फरवरी, 2012)

निर्वाचन सदन

अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001

मतगणना अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिका

(उन निर्वाचनों में, जहाँ इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीने प्रयुक्त की जाती हैं)

1. प्रस्तावना

मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया की चरम परिणति की दिशा में अन्तिम प्रमुख चरण हैं । मतों की ठीक–ठीक और उचित मतगणना द्वारा ही निर्वाचक मंडल की सही पसंद की अभिव्यक्ति होती है और उनकी सही पसंद के इस प्रकार अभिनिश्चितता के आधार पर ही उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधि को निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसलिए जोर देकर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मतों की मतगणना की प्रक्रिय कितनी महत्वपूर्ण होती है।

2. मतगणना अभिकर्ताओं की भूमिका

2.1 विधि के अधीन यह व्यवस्था है कि मतों की गणना, अभ्यर्थियों और उनके उपस्थिति में, निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा या उसके पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन की जाये। विधि, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को भी मतों की मतगणना के लिये प्राधिकृत करती है। मतगणना एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर तथा उसी स्थान पर एक से अधिक मेजों पर की जा सकती है। चूंकि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह मतगणना के ऐसे सभी स्थानों या मेजों पर स्वयं उपस्थित रहे, इसलिये विधि, अभ्यर्थी को अपने मतगणना अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की अनुमति देती है, जो उक्त मतगणना स्थानों या मतगणना मेजों पर उपस्थित रहें और उसके हितों की देखभाल करें। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि होने के कारण, मतगणना अभिकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है और इस महत्वपूर्ण कार्य में उनके सहयोग से मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों का कार्य सरल हो जायेगा।

2.2 आपको उस निर्वाचन क्षेत्र का मतगणना अभिकर्ता बनाया जा रहा है, जहां पर वोटिंग मशींने प्रयुक्त की जानी है। इसलिये आपको वोटिंग मशीनों द्वारा निर्वाचन के संचालन के लिये विहित नियमों और प्रक्रियाओं की नवीनतम नवीनतम स्थिति से अपने आपको पूर्णतया अवगत करा लेना चाहिए। आपको वोटिंग मशीन के प्रचालन के बारे में भी स्वयं को सुपरिचित करा लेना चाहिए। इस प्रयोजन के लिये, आपको रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा

आयोजित वोटिंग मशीनों के प्रदर्शनों में उपस्थित होना चाहिए, जहां पर वोटिंग मशीनें प्रदर्शित की जायेंगी और उनके कार्य करने की और प्रचालन की पद्धति प्रदर्शित और स्पष्ट की जायेगी।

3. निर्वाचनों में वोटिंग मशीन पद्धति का सूत्रपात

सन् 1998 तक संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन, मतपत्रों और मतपेटियों की परंपरागत पद्धति के अधीन आयोजित किये जाते थे। अक्तूबर–नवम्बर, 1998 में हुए मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान तथा संघ राज्य दिल्ली की विधान सभाओं के लिए सामान्य निर्वाचनों तथा लोक सभा में कुछ रिक्तियों को भरने के लिए उपनिर्वाचनों में प्रयुक्त की गयीं, जो प्रयोग अत्यंत सफल तथा संतोषजनक सिद्ध हुआ। उसके बाद गोवा ऐसा पहला राज्य बना, जहां 1999 में हुए राज्य विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन के दौरान राज्य में सभी पोलिंग स्टेशनों पर इलैक्टॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया। तब से सभी निर्वाचनों में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयुक्त की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार के दो उपक्रम अर्थात् इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर ने इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का निर्माण किया है। वोटिंग मशीनों को ऐसे डिजाइन किया गया है, जिससे कि वर्तमान पद्धति, जिसके अंतर्गत मतपत्रों और मतपेटियों को प्रयोग किया जाता है, की मुख्य बातों को अक्षुण बनाए रखा जा सके।

4. वोटिंग मशीनों का संक्षिप्त परिचय

4.1 वोटिंग मशीनों में दो यूनिटें अर्थात् कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट होती हैं। ये दोनों यूनिटें तब आपस में जुड़ जाती हैं, जब वोटिंग मशीन का एक ऐसे केबल के माध्यम से संचालित की जाती है, जिसका एक सिरा स्थायी रूप से बैलेटिंग यूनिट से संबद्ध रहता है। जब मशीन को मत रिकार्ड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो केबल के खुले सिरे के प्लग को कंट्रोल यूनिट में लगा दिया जाता है।

4.2 एक बैलेटिंग यूनिट में अधिकतम सोलह अभ्यर्थियों की व्यवस्था होती है। बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र, जिसमें निर्वाचन का विवरण, निर्वाचन लड़ने वाले अभयर्थियों की क्रम संख्या और नाम तथा उनको आबंटित सबंधित प्रतीक अंतर्विष्ट होंगे, के प्रदर्शन की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने एक नीला बटन है, जिसको दबाकर मतदाता अपने मत को उस अभ्यर्थी के पक्ष में रिकार्ड कर सकता है। उक्त बटन के पास प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये एक ''बत्ती'' है, जो तब ''लाल'' चमकेगी, जब उक्त बटन को दबाने से उसके पक्ष में मत रिकार्ड हो जाये।

4.3 चौसठ अभ्यर्थियों तक की व्यवस्था करने वाली आपस में संयोजित चार बैलेटिंग यूनिटें एक कंट्रोल यूनिट के साथ प्रयुक्त की जा सकती है। कंट्रोल यूनिट के सर्वोच्च प्रभाग पर, मशीन में अंकित विभिन्न सूचना और आंकड़े जैसे– निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, दिये गये मतों की कुल संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत आदि के प्रदर्शन की व्यवस्था है। सहज निर्देश के लिये इस विभाग को कंट्रोल यूनिट का ''डिस्प्ले सैक्शन'' कहते हैं। डिस्प्ले सैक्शन के नीचे एक कक्ष बैटरी लगाने के लिये है, जिससे मशीन चलती है। इस कक्ष के पास में एक दूसरा कक्ष है, जिसमें किसी विशिष्ट निर्वाचन के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के लिये मशीन को सेट करने का बटन है। इन दो कम्पार्टमेंट से मिलकर बनने वाले कंट्रोल यूनिट के इस अनुभाग को ''कैण्ड सेट अनुभाग'' कहते हैं। ''कैण्ड सेट अनुभाग'' के नीचे कंट्रोल यूनिट का ''रिजल्ट सैक्शन'' है। इस अनुभाग में (i) मतदान बंद करने के लिये प्रयुक्त ''क्लोज''बटन (ii) संसदीय और विधान सभा निर्वाचनों का पृथक्–पृथक् परिणाम अभिनिश्चित करने के लिये दो ''रिजल्ट I और रिजल्ट II '' बटन और (iii) जब मशीन में आंकड़े अपेक्षित न हों तब उनको मिटाने के लिये '' क्लियर'' बटन है। कंट्रोल यूनिट के सबसे नीचे के प्रभाग पर दो बटन हैं– एक बटन पर ''बैलेट'' अंकित है, जिसको दबाने पर बैलेटिंग यूनिट मत रिकार्ड करने के लिये तैयार हो जाती है और दूसरे बटन पर ''टोटल'' अंकित है, जिसको दबाकर उस प्रक्रम तक रिकार्ड हुए कुल मतों की संख्या अभिनिश्चित की जा सकती है। कृपया ध्यान रखें कि ''टोटल'' बटन दबाने पर होने वाला संप्रदर्शन केवल कुल मतों को उपदर्शित करता है न कि अभ्यर्थीवार लेखा। यह अनुभाग कंट्रोल यूनिट के ''बैलेटिंग सैक्शन'' के रूप में जाना जाता है।

4.4 मशीन बैटरी से प्रचालित की जाती है और कहीं भी और किसी भी स्थिति में प्रयुक्त की जा सकती है। यह छेड़छाड़ परिरक्षी, भूलरहित और प्रचालन करने में सरल है। मशीन की दोनों यूनिटें अलग–अलग कैरिंग बक्सों में दी जाती है। मशीन में एक बार रिकार्ड की गई मतदान सूचना इसकी मेमोरी में बनी रहती है, चाहे बैटरी हटा दी जाये।

4.5 मशीन, विशेष रूप से ''बैलेटिंग यूनिट' ऐसे डिजाइन की गई है ताकि वर्तमान मतदान व्यवस्था की समस्त मुख्य विशेषताओं को अक्षुण्ण रखा जा सके और उसमें केवल यह परिवर्तन किया गया है कि मतदाता 'ऐरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प', जो कि मतदान पत्र पर उसकी पसंद के प्रतीक के उपर या पास में लगायी जाती है, का उपयोग करने के बजाय, उसकी पसंद के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध नीले बटन को दबाये। वोटिंग मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया अत्यंत सरल, तीव्र और त्रुटि रहित है। प्रत्येक मत सही रिकार्ड किया जाता है और कोई अमान्य मत नहीं होता।

5. मतगणना अभिकर्ताओं के लिए अर्हताएं

5.1 मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये कोई विनिर्दिष्ट अर्हताएं विधि द्वारा विहित नहीं की गयी तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में प्रौढ़ और वयस्क व्यक्तियों को नियुक्त करें, जिससे कि उनके हितों की समुचित देखभाल हो सके।

5.2 **निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार सुरक्षा कार्मिकों को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसलिये केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी मंत्री को, जिसे राज्य के व्यय पर सुरक्षा प्रदान की गयी है, निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने अनुमति नहीं है, क्योंकि न तो उसे सुरक्षा कर्मियों के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश करने के लिये अनुमति दी जा सकती है और न ही सुरक्षा को जोखिम में डालकर उसे बिना किसी सुरक्षा के हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।**

5.3 कोई सरकारी सेवक भी किसी अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134–क) और यदि वह इस प्रकार

कार्य करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

6. नियुक्त किए जाने वाले मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या

6.1 प्रत्येक अभ्यर्थी को उतने मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की अनुमति दी जाती है जितनी मतगणना मेजें है तथा एक और रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर मतगणना देखने के लिए भी। निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर के लिए एक मे ज के अतिरिक्त, चौदह मेजों से अधिक मेजें एक मतगणना हाल में मतगणना के लिए उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हैं। इस प्रकार किसी अभ्यर्थी के द्वारा नियुक्त किये जा सकने वाले मतगणना अभिकर्ताओं की अधिकतम संख्या सामान्यतः 15 से अधिक नहीं होती है।

6.2 तथापि, आयोग किसी सामान्य या विशेष निदेश द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को पन्द्रह से अधिक मेजों की व्यवस्था करने की अनुमति दे सकेगा। उस दशा में, अभ्यर्थियों को भी पंद्रह से अधिक और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराई गई मतगणना मेजों की संख्या तक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी।

6.3 विधि के अधीन, रिटर्निंग ऑफिसर मतदान के लिये नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उस स्थान की, जहाँ मतों की मतगणना की जायेगी तथा उस तारीख और समय की, जब मतगणना प्रारंभ होगी, लिखित सूचना देगा। वह उन्हें मतगणना मेजों, जिनकी व्यवस्था मतगणना हाल में की जायेगी, की संखया के बारे में भी काफी पहले सूचना दे देगा, जिससे कि वे अपने मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्तियां तद्नुसार कर सकें।

6.4 किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतों की मतगणना सामान्यतया एक ही स्थान पर ही की जायेगी। तथापि, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतों की मतगणना भिन्न–भिन्न स्थानों पर की जा सकती है। जब मतगणना एक से अधिक स्थानों पर की जाती है, तब मतगणना अभिकर्ताओं की अधिकतम संख्या के बारे में उपर्युक्त सीमा ऐसे प्रत्येक मतगणना स्थान की बाबत पृथक्–पृथक् लागू होगी।

6.5 लोक सभा और राज्य विधान सभा के लिये एक साथ निर्वाचन कराये जाने के मामले में मतों की मतगणना विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र खण्डवार एक साथ की जायेगी। ऐसी दशा में, संसदीय और विधान सभा निर्वाचनों के अभ्यर्थियों को अपने अलग–अलग मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी।

7. मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति

7.1 मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जायेगी। ऐसी नियुक्ति निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के संलग्न प्ररूप–18 (परिशिष्ट–I) में की जायेगी। मतगणना अभिकर्ता का नाम और पता उस प्ररूप में भरा जायेगा और अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उस प्ररूप पर स्वयं हस्ताक्षर करेगा। मतगणना अभिकर्ता भी उस प्ररूप पर नियुक्ति की अपनी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करेगा। सभी मामलों में अभिकर्ताओं के फोटो सहित ऐसे प्ररूपों की दो प्रतियां तैयार की जायेंगी और उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। उस प्ररूप की एक प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दी जायेगी, दूसरी प्रति मतगणना अभिकर्ता को दी जायेगी, जो उसे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

7.2 कोई भी उम्मीदवार अपने सभी मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति प्ररूप–18 में एक ही नियुक्ति पत्र द्वारा कर सकता है। उस दशा में सभी मतगणना अभिकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे उस नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करें।

7.3 नियुक्ति पत्र में किसी अभ्यर्थी का प्रतिरूप हस्ताक्षर भी स्वीकार किया जाता है, परंतु यह तब जब हस्ताक्षर के बारे में कोई संदेह न हो।

8. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करने के लिए समय सीमा

8.1 निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि समस्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखे बिना निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऐसे मतगणना अभिकर्ताओं की फोटो सहित सूची रिटर्निंग ऑफिसर को मतों की मतगणना के लिये नियत तारीख के तीन दिन पूर्व के दिन के 17.00 बजे प्रस्तुत कर देनी चाहिए रिटर्निंग

ऑफिसर ऐसे प्रत्येक अभिकर्ता के लिये पहचान पत्र तैयार करेगा उन्हें अभ्यर्थी को जारी करेगा।

8.2 मतगणना अभिकर्ता जब मतगणना में हाजिर होने के लिये आये, तब उन्हें अपने नियुक्ति पत्र के साथ–साथ उन पहचान पत्रों को अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

8.3 मतगणना अभिकर्ता का पहचान पत्र सहित नियुक्ति पत्र मतों की मतगणना के लिये नियत समय से कम से कम एक घंटे पहले रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे किसी नियुक्ति पत्र स्वीकार नहीं करेगा, जो उपर्युक्त समय के बाद प्राप्त होता है।

9. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

9.1 अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करने के लिए प्राधिकृत है।

9.2 नियुक्ति का इस प्रकार प्रतिसंहरण निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के संलग्न प्ररूप–19 (परिशिष्ट– II) में किया जाता है तथा वह उस समय से लागू हो जाता है जब वह रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल कर दिया जाता है। ऐसे किसी मामले में अभ्यर्थी को यह प्राधिकार होता है कि वह मतगणना आरंभ होने से पहले किसी भी समय उस व्यक्ति के, जिसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण किया गया है, स्थान पर किसी अन्य मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करें। एक बार मतगणना आरंभ हो जाने पर नये मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

9.3 नये मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति उसी रीति से की जायेगी, जो उपर्युक्त पैरा 7 में स्पष्ट की गई है।

10. मतगणना अभिकर्ताओं का मतगणना हॉल में प्रवेश

10.1 रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर, मतगणना अभिकर्ता से अपेक्षा की जायेगी कि वह रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उस घोषणा पर हस्ताक्षर करें, जो मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के संबंध में उसके नियुक्ति पत्र में अन्तर्विष्ट है। नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और घोषणा का सत्यापन करने के पश्चात्

रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति देगा।

10.2 रिटर्निंग ऑफिसर को यह शक्ति होगी कि वह मतगणना हॉल में प्रवेश से पूर्व किसी मतगणना अभिकर्ता की तलाशी लें।

11. मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैज

प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एक बैज दिया जायेगा, जिसमें यह उपदर्शित होगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उसी में उस मेज का क्रमांक दिया जायेगा, जिस पर वह मतगणना की देखभाल करेगा। उसे आबंटित मेज के पास बैठा रहना चाहिए और उसे पूरे हॉल में घूमने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और उनकी अनुपस्थिति में, केवल उसके रिटर्निंग ऑफिसर की मेज वाले मतगणना अभिकर्ता को समस्त मतगणना मेजों तक घूमने की अनुमति दी जायेगी।

12. मतगणना हॉल में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना

12.1 प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह मतगणना हॉल के भीतर कठोर अनुशासन और व्यवस्था बनाये रखने में रिटर्निंग ऑफिसर के साथ सहयोग करें। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिये गये समस्त निदेशों का पालन करना चाहिये। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर उस किसी भी व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है, जो उसके निदेशों की बार–बार अवहेलना करता है।

12.2 किसी भी मतगणना अभिकर्ता और अन्य को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। दूसरे शब्दों में, जब एक बार मतगणना अभिकर्ता और अन्य मतगणना हॉल में अन्दर आ जाते हैं, तो उन्हें साधारणतया केवल परिणाम की घोषणा के पश्चात् ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

12.3 पीने के लिये पानी, जलपान, प्रसाधन आदि के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं मतगणना हॉल के समीप ही उपलब्ध करवाई जायेंगी।

12.4 मतगणना अभिकर्ता को मतगणना केन्द्र के भीतर मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेक्षक/माइक्रो ऑब्जरबर, मतगणना सुपरवाईजर, सुरक्षा कार्मिकों को मोबाईल

फोन ले जाने की अनुमति होगी किन्तु उन्हें अपना मोबाईल Silent Mode में रखना होगा।

13. मतगणना हॉल के भीतर धूम्रपान प्रतिनिषिद्ध है

यदि किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने की इच्छा हो तो उसे, रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेकर और मतगणना की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा डाले बिना, उस प्रयोजन के लिये मतगणना हॉल से बाहर (किन्तु मतगणना केन्द्र के परिसर से बाहर नहीं) चले जाना चाहिए।

14. मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठने व्यवस्था

14.1 मतगणना, पंक्तियों में लगाई गई मेजों पर की जायेगी। प्रत्येक पंक्ति में लगाई गई मेजों पर क्रमांक डाला जायेगा।

14.2 प्रत्येक मतगणना मेज पर, मतगणना अभिकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था प्राथमिकता के निम्नलिखित श्रेणियों ध्यान में रखकर की जायेगी, अर्थात्

(**i**) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी,

(**ii**) मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी,

(**iii**) अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उनके आरक्षित प्रतीकों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है,

(**iv**) रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी,

(**v**) स्वतंत्र अभ्यर्थी।

15. मतगणना मेजों के अवरोध की व्यवस्था

प्रत्येक मतगणना हॉल में, प्रत्येक मतगणना मेज के लिये अवरोध की व्यवस्था की जायेगी ताकि मशीन को मतगणना अभिकर्ता नहीं छुएं। तथापि, मतगणना मेज पर सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया को देखने के लिये समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर सुनिश्चित करेगा कि अवरोध पारदर्शी हैं या बांसों या अवरोध खड़ा करने के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त अन्य सामग्री के उपर या बीच का रिक्त स्थान मतगणना प्रक्रिया का पूर्ण अवलोकन करने के लिए पर्याप्त है। अवरोधों को सही प्रकार

से खड़ा करने की रीति रिटर्निंग ऑफिसर के विवेक पर छोड़ दी गयी है, जिसे ऐसा दृष्टिकोण अपनाना है, जो वह यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे कि मतगणना की प्रक्रिया में, वोटिंग मशीनों को अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं छुआ जाये या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाये।

16. गोपनीयता बनाए रखना

16.1 मतगणना हॉल के भीतर प्रत्येक व्यक्ति से विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि वह मतदान की गोपनीयता बनाए रखें और बनाए रखने में मदद करें तथा किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी जानकारी संसूचित न करें, जो ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्रकल्पित हो। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस निमित्त विधि के उपबंधों करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128)।

16.2 रिटर्निंग ऑफिसर, मतों की मतगणना प्रारंभ होने से पहले उपर्युक्त धारा 128 के उपबंधों को पढ़कर सुनायेगा और उनकी व्याख्या करेगा, जिससे कि सभी उपस्थित व्यक्तियों को उनकी जानकारी हो जाये और वे उनका पालन करें।

17. मतगणना कार्मिकों का रेण्डामाईजेशन

17.1 मतगणना सुपरवाईजरों एवं मतगणना सहायकों की तैनाती इस प्रकार से सुनिश्चित की जाय कि उन्हें मतगणना केन्द्र पर पहुॅचने के उपरान्त ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व आवंटित मतगणना टेबिल के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

17.2 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त मतगणना कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना प्रक्रिया सम्पादित कराये जाने हेतु अच्छे प्रशिक्षित कार्मिकों का पूल (जिसमें आरक्षित कार्मिकों का पूल भी सम्मिलित हो) तैयार किया जाय। मतगणना हेतु तैनात कार्मिकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया जाय कि वह मतगणना की तिथि पर प्रातः 06 बजे मतगणना केन्द्र पर पहुॅच जांय।

17.3 मतगणना की तिथि पर प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रातः 05 बजे समस्त मतगणना कार्मिकों को एक स्थान यथा–एनआईसी सेन्टर, मतगणना केन्द्र अथवा अन्य सुविधाजनक स्थान पर एकत्रित कर रेण्डामाईजेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17.4 रेण्डामाईजेशन की कार्यवाही मैनुवली अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से की जायेगी। मैनुवल

रेण्डामाईजेशन पद्धति के अर्न्तगत वरिष्ठ प्रेक्षक के द्वारा draw of lots के माध्यम से मतगणना कार्मिकों को विधान सभा क्षेत्र एवं टेबल आवंटित की जायेंगी। उक्तानुसार मतगणना सुपरवाईजर एवं सहायकों के रेण्डामाईजेशन की कार्यवाही अलग–अलग करते हुए उनकी सूची भी पृथक–पृथक तैयार की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु पूर्व से ही समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करनी होंगी ताकि रेण्डामाईजेशन की कार्यवाही में व्यवधान न होने पाये।

17.5 त्वरित एवं सरलतापूर्वक रेण्डामाईजेशन की कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस हेतु पूर्व से ही समस्त आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित कर लेने चाहिए।

17.6 वैकल्पिक रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी रेण्डामाईजेशन की उपरोक्त कार्यवाही प्रेक्षक से परामर्श के उपरान्त कम्प्यूटर के माध्यम से भी सम्पादित कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में प्रेक्षक को पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहिए कि कम्प्यूटर के माध्यम से रेण्डामाईजेशन की पद्धति सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से त्रुटिरहित है।

17.7 जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि अभिलेख हेतु रेण्डामाईजेशन की उपरोक्त पद्धति की वीडियोग्राफी की जा चुकी है।

17.8 रेण्डामाईजेशन की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षक द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सूची तैयार की जायेगी तथा उक्त सूची प्रातः 06 बजे संबंधित रिटर्निंग आफिसरों एवं कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायी जायेगी।

17.9 रेण्डामाईजेशन की सम्पूर्ण कार्यवाही प्रातः 06 बजे तक पूर्ण कर ली जानी चाहिए ताकि समस्त मतगणना कार्मिक मतगणना हेतु निर्धारित समय से पूर्व उन्हें आवंटित टेबल तक पहॅूच जाय।

17.10 ऐसे कार्मिक जिन्हें कोई विधान सभा क्षेत्र/टेबल आवंटित न हुई हो उन्हें आरक्षित पूल में रखा जाय।

17.11 मतगणना कार्मिकों की shift के आधार पर तैनाती नहीं की जा सकती है, क्योंकि साधारणतया मतगणना का कार्य 06 से 08 घंटे के बीच सम्पन्न हो जाता है। यदि

मतगणना उक्त अवधि से अधिक समय तक चलती है एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यह आवश्यक समझें कि मतगणना कार्य में लगे किसी कार्मिक/कार्मिकों को छूट प्रदान करते हुए shift किया जाना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में प्रेक्षक से परामर्श कर आरक्षित पूल से रेण्डमली कार्मिकों को तैनात किया जा सकता है।

18. मतगणना का जारी रहना

मतों की मतगणना यथासाध्य, तब तक निरन्तर जारी रहेगी, जब तक मतों की मतगणना समाप्त नहीं हो जाती।

19. डाक मतपत्रों की मतगणना सबसे पहले की जाएगी

19.1 डाक मतपत्रों की मतगणना सबसे पहले शुरू की जायेगी एवं 30 मिनट के अन्तराल के पश्चात ईवीएम में प्राप्त मतों की गणना भी प्रारम्भ की जा सकती है।

19.2 डाक मतपत्रों की गणना हेतु पृथक टेबल एवं पृथक से व्यवस्थायें होनी चाहिए। डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर की टेबल पर सम्पादित कराये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित रिटर्निंग आफिसर का होगा। डाक मतपत्रों की गणना के कार्य हेतु एक सहायक रिटर्निंग आफिसर को तैनात कर दिया जाय। प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा डाक मतपत्रों की गणना के साथ–साथ ई0वी0एम0 के माध्यम से की जा रही मतगणना कार्य की गहनता से निगरानी की जानी चाहिए। अभ्यर्थी/उनके चुनाव अभिकर्ताओं को यह सलाह दी जानी चाहिए वह डाक मत पत्रों की गणना हेतु अतिरिक्त मतगणना अभिकर्ता तैनात करे और उक्त मतगणना अभिकर्ता को उक्त टेबल के समीप रहना चाहिए जिसमें डाक मतपत्रों की गणना की जा रही है।

19.3 मतदाता से प्राप्त प्रत्येक डाक मतपत्र प्ररूप 13–ख में भीतरी लिफाफे में रखा होगा। यह लिफाफा तथा प्ररूप 13–क में निर्वाचक की घोषणा प्ररूप–13 ग में एक बड़े लिफाफे में रखा होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित होगा।

19.4 रिटर्निंग ऑफिसर प्ररूप 13–ग में के ऐसे किसी लिफाफों को, जिससे डाक मतपत्र हैं, नहीं खोलेगा, जो उसे विलम्ब से अर्थात मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय के पश्चात् प्राप्त होता है। वह प्ररूप 13–ग में के लिफाफे के बाहर इस प्रयोजन के लिए उचित पृष्ठांकन करेगा। इस लिफाफों में रखे मतों की मतगणना नहीं की जायेगी। वह ऐसे सभी लिफाफों का एक पैकेट बना लेगा और उस पैकेट को मुद्रा बन्द करेगा।

19.5 प्ररूप 13–ग में के उव सभी लिफाफों को, जिनमें ऐसे डाक मतपत्र हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर को समय पर प्राप्त हो गये हैं, उसके द्वारा एक–एक करके खोला जायेगा। मतदाता द्वारा प्ररूप 13–क में की गई घोषणा प्ररूप 13–ग में के प्रत्येक लिफाफे के भीतर पाई जायेगी। प्ररूप 13–ख का भीतरी लिफाफा, जिसमें विशेष डाक मतपत्र रखे गये हैं, खोलने से पहले, रिटर्निंग आफिसर घोषणाओं की (प्ररूप 13–क) जॉच करेगा। वह निम्नलिखित किन्हीं भी दशाओं में ऐसे किसी भी डाक मतपत्र को भीतरी लिफाफा (प्ररूप 13–ख) खोले बिना ही रद्द कर देगा :–

(क) यदि प्ररूप 13–क में की गई घोषणा प्ररूप 13–ग के लिफाफे में नहीं पाई जाती है;

(ख) यदि घोषणा निर्वाचक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित नहीं है या ऐसा करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नहीं की गई है यह अन्यथा सारभूत रूप से त्रुटिपूर्ण है;

(ग) यदि घोषणा में दी गई मतपत्र की क्रम संख्या से भिन्न है, जो प्ररूप 13–ख में भीतरी लिफाफे पर पृष्ठांकित किया गया है।

19.6 प्ररूप 13–ख में के ऐसे सभी लिफाफे, जो रद्द किये गये हैं, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा समुचित रूप से पृष्ठांकित किये जायेंगे और प्ररूप 13–ग में के बड़े लिफाफे में संबंधित घोषणाओं के साथ प्रतिस्थापित किए जायेंगे। ऐसे सभी बड़े लिफाफे एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर मुद्राबंद करेगा और पैकेट की पहचान के लिए उस पर पूर्ण विवरण जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख और अन्तर्वस्तुओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण लिखा जायेगा।

19.7 इसके बाद, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 13–ख के बाकी बचे हुए लिफाफों अर्थात उपर्युक्त रूप से रद्द किये गये लिफाफों से भिन्न लिफाफों के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। इस दृष्टि से कि डाक मतपत्रों की गोपनीयता भंग होने का कोई जोखिम न रहे, प्ररूप 13–क में की उन सभी घोषणाओं को, जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा संवीक्षा की जाने पर ठीक पाई जाती है, पहले पृथक पैकेट में रखा जायेगा और उन्हें मुद्राबंद कर दिया जायेगा। पहचान संबंधी विवरण पैकेट पर लिख दी जायेंगी। इससे पहले कि किन्हीं विशेष मतपत्रों को प्ररूप 13–ख में उनके लिफाफों से बाहर निकाला जाये, वह आवश्यक है कि इन घोषणाओं को एक मुद्राबंद लिफाफे में अलग रख दिया जाये, क्योंकि इन

घोषणाओं में मतदाताओं के नामों के साथ–साथ उनके अपने–अपने डाक मतपत्रों की क्रम संख्या भी रहती है।

19.8 उपरोक्त प्रक्रिया पूरी कर लेने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 13–ख के लिफाफों को एक–एक करके खोलेगा और उनमें रखे हुए डाक मतपत्रों को बाहर निकाला जायेगा। रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रत्येक मतपत्र की संवीक्षा करके यह विनिश्चिय करेगा कि वह विधिमान्य है या नहीं।

19.9 डाक मतपत्र निम्नलिखित दशा में रद्द कर दिया जायेगा :–

(क) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है; या

(ख) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत व्यक्त किया गया है; या

(ग) यदि वह मतपत्र नकली है; या

(घ) यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया है कि यह साबित नहीं किया जा सकता कि वह वास्तविक मतपत्र है; या

(ङ) यदि वह उस लिफाफे में, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचक को भेजा गया था, वापस नहीं भेजा गया है; या

(च) यदि मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह इस प्रकार लगया गया है कि यह पता लगाना संदेहपूर्ण है कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है; या

(छ) यदि उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेखन है, जिससे मतदाता पहचाना जा सकता है।

19.10 मतदाता द्वारा किसी डाक मतपत्र में अपना मत उपदर्शित करने के लिए कोई विशिष्ट चिन्ह विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। किसी भी चिन्ह को तब तक विधिमान्य माना जा सकता है, जब तक मतपत्र पर चिन्ह इस प्रकार और ऐसे स्थान पर लगया है कि उससे किसी युक्तियुक्त संदेह के परे यह स्पष्ट हो जाता है कि मतदाता का इरादा किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को अपना मत देने का है। इस प्रकार, किसी अभ्यर्थी को आवंटित स्थान में कहीं भी बनाये गये चिन्ह को संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत के रूप में माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि मतपत्र के चिन्हित किये जाने के तरीके से यह आशय स्पष्ट होता है कि वह मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, तो डाक मतपत्र पर

अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जायेगा कि मत व्यक्त करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या उसी अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक बार बनाया गया है।

19.11 तब, विधिमान्य मतों की मतगणना की जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया गया मत उसके नाम जमा किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को मिलने वाले कुल डाक मतों की संख्या की मतगणना की जायेगी और उसे परिणाम पत्र प्ररूप 20 में प्रविष्ट किया जायेगा और अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं/मतगणना अभिकर्ताओं की जानकारी के लिए उसकी घोषणा कर दी जायेगी।

19.12 तत्पश्चात् सभी विधिमान्य मतपत्रों और रद्द किये गये सभी मतपत्रों के पृथक–पृथक बण्डल बनाये जायेंगे और उन्हें एक पैकेट में एक साथ रख दिया जायेगा तथा उस रिटर्निंग आफिसर की मुहर और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतगणना अभिकर्ताओं की (जो किसी एक अभ्यर्थी की बाबत दो से अधिक न हों) मुद्रा लगायी जायेगी, जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहते हैं।

19.13 किसी भी दशा में, जब तक डाक मतपत्रों की गणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, ईवीएम के माध्यम से की गयी गणना की घोषणा न की जाय।

19.14 यदि, केवल डाक मत पत्रों की गणना के आधार पर ही किसी प्रत्याशी की जीत हो रही हो, तो ऐसी दशा में डाक मत पत्रों की पुनः जांच की जा सकती है। प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में अवैध होने के कारण निरस्त किये गये समस्त डाक मतपत्र के साथ–साथ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त डाक मतों की पुनः जांच/मिलान कर लिया जाय। प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर को डाक मत पत्रों की पुनः की कार्यवाही को रिकार्ड करते हुए पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निर्वाचन परिणाम तैयार करना चाहिए।

19.15 जहॉ कहीं पुनर्मिलान/पुर्नगणना की कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, ऐसी दशा में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाय एवं उक्त वीडियो कैसेट/सीडी को पृथक लिफाफे में सील कर रख दिया जाय।

20. पोलिंग स्टेशनों पर डाले गए मतों की मतगणना

20.1 जब रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपनी मेज पर डाक मतपत्रों की मतगणना की जा रही हो, तब सहायक रिटर्निंग आफिसर पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग मशीनों के द्वारा डाले गये मतों की मतगणना भी उन अन्य मेजों पर आरम्भ करेगा/करेंगें, जिनकी व्यवस्था मतगणना कक्ष में की गई है। उस प्रयोजन के लिए पोलिंग स्टेशनों से प्राप्त वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिटें विभिन्न मतगणना मेजों पर पोंलिग स्टेशन संख्या–1 की वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट मेज संख्या 1 को वितरित की जायेगी, पोलिंग स्टेशन संख्या–2 की वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट मेज संख्या–2 को और इसी क्रम से आगे संवितरित की जायेंगी। एक बार मतगणना मेज पर एक ही पोलिंग स्टेशन पर डाले गये मतों की मतगणना की जायेगी। इस प्रकार जितनी मतगणना मेजें होंगी, उतने ही पोलिंग स्टेशनों पर डाले गये मतों की मतगणना पहले दौर में एक साथ ही की जायेगी। मतों की मतगणना उतने दौरों में पूरी की जायेगी और संपन्न की जाएगी, जितने मेजों की संख्या और पोलिंग स्टेशनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों। अगले दौर के लिए कंट्रोल यूनिटें मतगणना मेजों पर तब तक नहीं लाई जाएंगी जब तक कि पूर्व के दौर की मतगणना पूरी नहीं हो जाती। **एक साथ होने वाले निर्वाचनों की दशा मे,** मतगणना मेजों की कुल संख्या, मेजों की समान संख्या वाले दो समूहों में विभाजित की जाएगी। प्रथम समूह विधान सभा निर्वाचन के लिए तथा दूसरी समूह संसदीय निर्वाचन के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मतगणना मेजों की कुल संख्या 14 (चौदह) है, तो मतगणना के प्रथम दौर में, पोलिंग स्टेशन संख्या 1 पर विधान सभा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 1 को दिया जाएगा और पोलिंग स्टेशन संख्या 1 पर लोक सभा के लिए प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 8 को दिया जायेगा, अर्थात लोक सभा निर्वाचन के लिए मतों की मतगणना के लिए पहला मेज और पोलिंग स्टेशन संख्या 2 पर विधान सभा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट मेज संख्या 2 को दी जानी चाहिए और पोलिंग स्टेशन सं. 2 पर लोक सभा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट मेज सं. 9 को दी जानी चाहिए, अर्थात लोक सभा निर्वाचन के लिए मतों की मतगणना के लिए दूसरी मेज और आगे इसी क्रम से संवितरित की जायेगी। आप अपनी जानकारी के लिए ऐसे वितरण का लेखा अपने पास रखें। **यह भी नोट किया जाए कि एक साथ होने वाले निर्वाचनों के लिए मतगणना के मामले में, दूसरे**

दौर की मतगणना केवल तभी शुरू की जाएगी जबकि विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचनों के संदर्भ में पूर्व के दौर की मतगणना संपन्न कर ली गई हो तथा इस संपन्न किये गये दौर के अन्तर्गत आने वाले पोलिंग स्टेशनों में पयुक्त कंट्रोल यूनिट, मतगणना मेजों से हटाये जा चुके हों।

20.2 मतगणना के समय केवल वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट ही ऐसे पोलिंग स्टेशन पर हुए मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है, जहां कि ऐसी कंट्रोल यूनिट प्रयोग में लायी गयी हो। बैलेटिंग यूनिट अपेक्षित नहीं है।

20.3 पोलिंग स्टेशन पर प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट के साथ उस पोलिंग स्टेशन से संबंधित प्ररूप 17–ग में रिकार्ड किये गये मतों का सुसंगत लेखा भी मतगणना मेजों पर प्रस्तुत किया जायेगा।

20.4 प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के उपरान्त संबंधित प्रेक्षक द्वारा उक्त चक्र में गणना की गयी दो ईवीएम कन्ट्रोल यूनिट चयनित की जायेगी। तत्पश्चात उनके द्वारा रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा उक्त कार्य हेतु तैनात कार्मिकों को निर्देशित किया जायेगा कि उक्त कन्ट्रोल यूनिटों की जांच कर ली जाय कि मशीन द्वारा जितने मत दिखाये गये है वह सही हैं। इसके बाद उनके द्वारा उक्त मशीनों में डाले गये मतों की गणना करने वाले मतगणना कार्मिकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी चक्रवार गणना की तालिका से उक्त का मिलान किया जायेगा कि कहीं कोई अनियमितता तो नहीं है। इस बात का विषेश ध्यान रखा जाय कि रेण्डम जांच हेतु तैनात कार्मिकों को इस बात की जानकारी न हो कि चक्रवार गणना में उक्त ईवीएम में कितने मत पड़े हैं।

20.5 प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक गणना सुपरवाईजर एवं गणना सहायक के अतिरिक्त प्रत्येक 14 गणना टेबलों पर एक–एक अतिरिक्त कार्मिक उपलब्ध रहना चाहिए। उक्त अतिरिक्त गणना कार्मिक स्थायी रूप से केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के उपक्रम के कार्मिक होने चाहिए। उक्त अतिरिक्त कार्मिक द्वारा प्रत्येक चक्रवार गणना किये गये मतों को नोट किया जायेगा। उक्त अतिरिक्त कार्मिकों को पूर्व मुद्रित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें सी0यू0 नम्बर, चक्रों की संख्या, टेबल नम्बर, मतदेय स्थल का नाम एवं नम्बर एवं इसके बाद मत पत्र के अनुरूप निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का

विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अतिरिक्त कार्मिकों द्वारा तद्नुसार विवरण तैयार करने के उपरान्त अंत में हस्ताक्षर करते हुए प्रत्येक चक्र के बाद तैयार किया गया विवरण संबंधित प्रेक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।

20.6 **यदि आवश्यक संख्या में केन्द्र सरकार के कार्मिक उपलब्ध न हों तो उक्त कमी की पूर्ति संबंधित मण्डलायुक्त अपने मण्डल के अन्य जनपदों से की जायेगी। अतिरिक्त कार्मिकों को संबंधित मतगणना केन्द्रों पर तैनात किये जाने से पूर्व उन्हें उक्त सन्दर्भ में दिशा–निर्देश निर्गत किये जांय। अतिरिक्त कार्मिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पहचान पत्र भी उपलब्ध कराये जायेंगे। एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं इसी प्रकार गणना टेबलवार अतिरिक्त कार्मिकों का भी संबंधित प्रेक्षकों द्वारा रेण्डामाईजेशन किया जाय।**

21. कंट्रोल यूनिटों पर लगी मुद्राओं की जांच

वोटिंग मशीन की किसी कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की मतगणना करने से पूर्व मतगणना मेजों पर उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को बाहरी, स्लिप सील, विशेष टैग, ग्रीन पेपर सील और अन्य महत्वपूर्ण, जो कैरिंग केस और कंट्रोल यूनिट पर लगायी हुई हो, की जांच करने के लिए और अपना स्वयं का इस बात का समाधान करने के लिए अनुमति दी जायेगी कि मुद्राएं अक्षुण्ण हैं और कंट्रोल यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि किसी कंट्रोल यूनिट कि साथ छेड़छाड़ होना पाया जाता है, तो उस मशीन में रिकार्ड मत गिने नहीं जायेंगे और मामला आयोग को उसके निदेशों के लिए रिपोर्ट किया जायेगा।

22. कंट्रोल यूनिटों के कैरिंग केसों का खोला जाना

ज्योंही कंट्रोल यूनिट का प्रत्येक कैरिंग केस मतगणना मेज पर लगाया जाये, पोलिंग स्टेशन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर लगायी गयी मुद्राओं की जांच की जायेगी। चाहे कहीं किसी कैंरिंग केस की मुद्रा अक्षुण्ण नहीं हों, तो भी उसमें रखे कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यदि उस यूनिट पर की मुद्राएं और विशेष रूप से पत्र–मुद्रा (ए) अक्षुण्ण रहें। फिर कैरिंग केस को खोला जायेगा और कंट्रोल यूनिट को बाहर निकाला जायेगा।

23. कंट्रोल यूनिट पर मुद्राओं और पहचान चिन्हों की जांच करना

ज्योंही प्रत्येक कंट्रोल यूनिट को कैरिंग केस से बाहर निकाला जाये, इसकी क्रम संख्या की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जायेगी कि वह वही कंट्रोल यूनिट है, जो उस पोलिंग स्टेशन पर प्रयोग करने के लिए दिया गया था। फिर ''अभ्यर्थी सेट सेक्शन'' पर की मुद्रा, जो पोलिंग स्टेशन को मशीन देने से पूर्व रिटर्निंग आफिसर द्वारा लगाई जाती है और ''परिणाम अनुभाग'' की बाहरी परत पर की मुद्रा जो पोलिंग स्टेशन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लगायी जाती है, की जांच की जायेगी। चाहे इनमें से कोई भी मुद्रा अक्षुण्ण नहीं हो तो भी कंट्रोल यूनिट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यदि ''परिणामी अनुभाग'' के भीतरी आवरण पर लगी पत्र–मुद्रा अक्षुण्ण हो।

24. पेपर सील की क्रम संख्या का मिलान

24.1 ''परिणामी अनुभाग'' के बाहरी आवरण को खोलने पर पीठासीन अधिकारी के सील से मुद्रांकित भीतरी आवरण दिखाई देगा। चाहे यह मुद्रा भी अक्षुण्ण नहीं हो तो भी कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यदि पेपर सील अक्षुण्ण है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। परिणामी अनुभाग के भीतरी आवरण में एक हरी पेपर सील होगी। (भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बेंगलौर द्वारा विनिर्मित मशीनों के मामले में दो हरी पेपर सीलें)। हरी पेपर सील इस प्रकार लगायी हुई होगी कि मुद्रा के दोनों खुले छोर उस भीतरी कम्पार्टमेंट के किनारों से बाहर की और निकले हुए हों, जिसमें ''रिजल्ट'' बटन स्थित है। पेपर सील के ऐसे एक खुले छोर पर उस मुद्रा की क्रम संख्या मुदित होगी। पेपर सील पर की उस क्रम संख्या का मिलान प्ररूप 17–ग के भाग की मद 9 में पीठासीन अधकारी द्वारा तैयार किये गये पेपर सील लेखे में दी गई क्रम संख्या के साथ किया जायेगा। मतगणना मेज पर उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को पेपर सील की ऐसा क्रम संख्या का मिलान करने और स्वयं का यह समाधान करने दिया जायेगा कि पेपर सील वही है, जो मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व पोलिंग स्टेशन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लगायी गयी थी।

24.2 यदि कंट्रोल यूनिट में वास्तविक रूप से प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या, पेपर सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथादर्शित क्रम संख्या के साथ मेल नहीं खाती है, तो

यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई गलती हो या यह प्रथम दृष्टया संदेहास्पद होगा कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़छोड़ की गई है। रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटाई गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्याओं की जांच करके इस प्रश्न को विनिश्चित करेगा। यदि वह इसे लिपिकीय भूल का मामला पाता है, जो वह फर्क पर ध्यान नहीं देगा।

25. यदि कंट्रोल यूनिटें छेड़छाड़ की हुई पाई जाएं तो उनका अलग रखा जाना

दूसरी ओर, यदि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गयी है या वह नहीं है, जो कि पोलिंग स्टेशन पर प्रयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रखा जायेगा और उसमें रिकार्ड किये गये मतों को गिना नहीं जायेगा। वह मामले की सूचना आयोग को उसके निर्देशों के लिए देगा। विधि के अधीन सम्पूर्ण मतगणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है, यदि किसी भी वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ होना पाया जाता है। रिटर्निंग आफिसर अन्य पोलिंग स्टेशनों के संबंध में मतगणना की कार्यवाही करेगा।

26. प्रेक्षक के दायित्व

26.1 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित एवं संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात प्रेक्षकों को आयोग द्वारा निर्वाचन के सचांलन के पर्यवेक्षण आदि के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्राविधानों के अनुरूप अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्रदान किये गये हैं। प्रेक्षकों को यह भी अधिकार दिये गये हैं कि वह निर्वाचन परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी भी समय मतगणना रोक सकते हैं अथवा विभिन्न कारणों से संबंधित रिटर्निंग आफिसर / सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अपरिहार्य परिस्थिति में नियमानुसार परिणाम की घोषणा न करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं।

26.2 कदाचित यदि प्रेक्षक के आदेश से मतगणना प्रक्रिया रोकी जाती है, तो इस दशा में प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर के द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक अपनी रिपोर्ट तत्काल आयोग को अग्रिम आदेश प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करायेंगे।

27. परिणाम अभिनिश्चित करना

27.1 यह समाधान कर लेने के पश्चात् की पेपर सील अक्षुण्ण है, कि कंट्रोल यूनिट वही है, जो कि पोलिंग स्टेशन को दी गयी थी और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है, तो उसमें रिकार्ड किये गये मतों को गिना जायेगा। इस प्रयोजन के लिए मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनयाी जायेगी :–

(i) कंट्रोल यूनिट के पिछले कम्पार्टमेंट में लगे पावर स्विच को ''ऑन'' स्थिति में किया जायेगा। तब कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन अनुभाग में की ''ऑन'' बत्ती हरी हो जायेगी।

(ii) ''रिजल्ट सैक्शन'' के भीतरी आवरण के ऊपरी छिद्र के निचे स्थित ''रिजल्ट'' बटन के ऊपर की पेपर सील छेद दी जायेगी।

(iii) फिर ''रिजल्ट'' बटन को दबाया जायेगा।

(iv) ''रिजल्ट'' बटन को इस प्रकार दबाने पर पोलिंग स्टेशन पर के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पैनलों में स्वतः प्रदर्शित हो जायेगी। मानो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी नौ हैं और पोलिंग स्टेशन पर दिये गये मतों की कुल संख्या 758 है तो प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये मत प्रदर्शन पैनल में निम्नलिखित क्रम में प्रदर्शित होंगं :–

बी.ई.एल. मशीनें

एन	0001
सी	0009
टी	0758
01	0109
02	0059
03	0077
04	0263
05	0038
06	0002
07	0051
08	0094
09	0065
	ई एन

ई0सी0आई0एल0 की मशीनें

मशीन ऑन करने पर

- EVM IS ON ECI
- DTE 06-03-12 TME 08-00-00
- SL NO - J62401
- CANDIDATES 7
- BATTERY HIGH

रिजल्ट बटन दबाने पर

- POLL RESULT PDT 30-01-2012
- PST 08-00-00 PET 17-35-22
- SL NO - J62401
- CANDIDATES 7
- TOTAL POLLED VOTES - 82
- CANDIDATE - 01 VOTES - 3
- CANDIDATE - 02 VOTES - 7
- CANDIDATE - 03 VOTES - 17
- CANDIDATE - 04 VOTES - 33
- CANDIDATE - 05 VOTES - 13
- CANDIDATE - 06 VOTES - 7
- CANDIDATE - 07 VOTES - 2
- END

(यह केवल एक उदाहरण है)।

नोटः— कृपया ध्यान दीजियेः—

[जब कभी भी मशीन का उपयोग साथ—साथ दूसरे मतदान के लिए किया जाये, तब ''रिजल्ट—II'' बटन दूसरे मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

(वर्तमान में, राज्य विधान सभा तथा लोक सभा दोनों के लिए एक साथ निर्वाचन कराने के दौरान भी विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचनों के लिए अलग–अलग मशीनें प्रयुक्त की जाती हैं।)

(v) उक्त परिणाम, जो अभ्यर्थीवार क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित किया गया है, प्ररूप 17–ग के "भाग II–गणना का परिणाम" में मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा लिखा जायेगा।

27.2 यदि अपेक्षित हो तो अभ्यर्थियों और/या उनके अभिकर्ताओं को उक्त परिणाम को लिखने में समर्थ बनाने के लिए "रिजल्ट–I" बटन को पुनः दबाया जा सकता है।

27.3 परिणाम को लिख लेने के पश्चात् परिणाम अनुभाग का आवरण बंद किया जायेगा और कंट्रोल यूनिट को बंद कर दिया जायेगा।

28. प्ररूप 17–ग का "भाग II मतगणना का परिणाम" को पूर्ण करना

28.1 क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पैनल पर प्रदर्शित किये जाते हैं इसलिए मतगणना पर्यवेक्षक, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में एंसं मतों की पृथक–पृथक संख्या को प्ररूप 17–ग के "भाग II मतगणना का परिणाम" में अभिलिखित करेगा। वह प्ररूप 17–ग के उक्त भाग II में यह भी लिखेगा कि उस भाग में दर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग I की मद संख्या V में दिखायी गयी मतों की कुल संख्या से मेल खाती है या नहीं अथवा इन दोनो योगों में कोई फर्क आ रहा है।

28.2 यदि इस प्रकार का कोई भी फर्क उसके ध्यान में आता है तो उसे, विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए उसे रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लायेगा। आप भी उसे अभ्यर्थी जिसका आप प्रतिधित्व करते हैं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के ध्यान में ला सकते हैं ताकि वह यदि चाहे तो रिटर्निंग आफिसर के पास मामले को ले जा सकता है।

28.3 प्ररूप 17–ग के भाग II को हर प्राकर से पूर्ण करके मतगणना पर्यवेक्षक इस पर हस्ताक्षर करेगा। वह मतगणना मेज पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं से भी उस पर हस्ताक्षर करवायेगा।

28.4 नमूना प्ररूप 17–ग परिशिष्ट– III में दिया गया।

28.5 मतगणना पर्यवेक्षक के प्ररूप 17–ग के भाग II को सम्यक रूप से भरने उस पर हस्ताक्षर करने और अभ्यर्थियों यो उनके अभिकर्ताओं से हस्ताक्षरित करवाने के पश्चात उस प्ररूप को रिटर्निंग आफिसर को सौंपेगा। रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करने के पश्चात प्ररूप को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा कि वह समुचित रूप से भरा गया है और सभी प्रकार से पूर्ण किया गया है। रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रकार प्रतिहस्ताक्षरित किया गया प्ररूप उस अधिकारी को भेजा जायेगा, जो कि अन्तिम परिणाम को संकलित और प्ररूप 20 में अंतिम परिणाम पत्र को तैयार कर रहा है।

29. अन्तिम परिणाम पत्र तैयार किया जाना

29.1 अन्तिम परिणाम का संकलन और प्ररूप 20 में अंतिम परिणाम पत्र तैयार करने वाला प्रभारी अधिकारी उस प्ररूप में प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के संबंध में प्ररूप 17–ग भाग II मतगणना का परिणाम में की गयी प्रविष्टियों के पूर्णतः अनुसार पोलिंग स्टेशनानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये मतों को दर्शाते हुए प्रविष्टियां करेगा। किसी पोलिंग स्टेशन पर डाले गये निविदत्त मतों की संख्या, यदि कोई हो, भी संबंधित पोलिंग स्टेशन के प्ररूप 20 में के उचित स्तंभ में लिखी जायेगी।

29.2 प्रत्येंक पोलिंग स्टेशन के संबंध में प्ररूप 20 में इस प्रकार की गयी प्रविष्टियां इस प्रकार घोषित की जायेंगी कि अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के संबंध में मतगणना का परिणाम लिख सकें। वैकल्पिक रूप से रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 में की गयी प्रविष्टियां किसी श्यामपट पर लिखवा सकेगा। इससे आप अन्य पोलिंग स्टेशनों पर मतों की मतगणना से संबंधित कार्यवाही में बिना बाधा पहुंचाये प्रवृत हो सकें।

30. पुनर्गणना

30.1 सामान्यतः वोटिंग मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की पुनर्गणना का प्रश्न ही नहीं होगा। वोटिंग मशीनों द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत वैध मत है और इसकी वैधता के बारे में या अन्यथा कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं ने किसी विशिष्टि पोलिंग स्टेशन पर के मतदान के परिणाम को उचित रूप से नहीं लिखा हो, जब कंट्रोल यूनिट ने उस सूचना को प्रदर्शित किया। यदि पुनर्सत्यापन की आवश्यकता होती है तो '' रिजल्ट I'' बटन को दबाकर ऐसा

किया जा सकता है जिस पर उस पोलिंग स्टेशन के मतदान का परिणाम उस कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पैनलों पर पुनः प्रदर्शित हो जायेगा।

30.2 वोटिंग मशीनों के प्रयोग द्वारा पुनर्गणना की आवश्यकता के निरस्त होने के बाबजूद भी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 63 में अंतर्विष्ट पुनर्गणना से संबंधित उपबंध लागू होंगे।

30.3 तद्नुसार रिटर्निंग आफिसर सम्पूर्ण मतगणना की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये कुल मतों की संख्या जो अन्तिम परिणाम पत्र (प्ररूप 20) में अभिलिखित है बताते हुए परिणाम घोषित करेगा। घोषणा कर दिये जाने के पश्चात कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ताओं में से कोई भी सभी या किन्हीं पोलिंग स्टेशनों पर रिकार्ड किये गये मतों की पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन उन आधारों का कथन करते हुए कर सकेगा जिन पर वह ऐसा पुनर्गणना की मांग करता है। इस प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर वह निश्चित समय घोषित करेगा जिस समय तक वह पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करेगा। जब पुनर्गणना के लिए ऐसा कोई आवेदन कर दिया जाता है तब रिटर्निंग आफिसर द्वारा पुनर्गणना के लिए बताये गये आधारों पर विचार किया जायेगा औश्र उन पर विनिश्चिय किया जायेगा। यदि आवेदन युक्तियुक्त है तो वह उसे पूर्णतः या भागतः मुजूर कर सकेगा या यदि वह तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, तो वह उसे पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा। रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय अन्तिम होगा। यदि किसी मामले में पुनर्गणना का आवेदन पूर्णतः या भागतः मंजूर कर लिया जाता है तो रिटर्निंग आफिसर मतों की पुनर्गणना का निदेश देगा। यदि डाक मतपत्रों की पुनर्गणना के लिए कोई अनुरोध किया जाता है और ऐसा कोई अनुरोध रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो डाक मतपत्रों की भी पुनर्गणना की जायेगी। ऐसी पुनर्गणना पूरी हो जाने के पश्चात परिणाम पत्र में यथावश्यक संशोधन किया जायेगा और इस प्रकार किये गये संशोधन की घोषणा की जायेगी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या घोषित कर दिये जाने के पश्चात परिणाम पत्र द्वारा किया जायेगा और उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

30.4 यह बाद में ध्यान रखना चाहिए कि जब रिटर्निंग आफिसर परिणाम पत्र को पूरा तैयार कर लें और उस पर हस्ताक्षर कर दें, उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके किसी मतगणना अभिकर्ता को पुनर्गणना की मांग करने का कोई अधिकारी नहीं है। परिणाम पत्र के पूर्ण हो जाने तथा उस पर हस्ताक्षर कर दिये जाने के बाद पुनर्गणना के लिए की गयी मांग मंजूर नामंजूर कर दी जायेगी।

30.5 यदि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतों की मतगणना एक से अधिक स्थानों पर की जाती है तो निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 की नियम 65 के अनुसार मतों की पुनर्गणना की मांग मतगणना के लिए नियत अन्तिम स्थान में हो रही मतगणना की समाप्ति पर ही की जा सकती है। साधारणतया ऐसा अन्तिम स्थान रिटर्निंग आफिसर का मुख्यालय होगा, जहां वह उस संसंदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आने वाले विभिन्न सभा खण्डों के परिणामों का मिलान करता है तथा उनको समेकित करता है।

31. नए मतदान की स्थिति में मतगणना का स्थगित किया जाना

31.1 यदि रिटर्निंग आफिसर ने वोटिंग मशीनों में से किसी के बारे निर्वाचन अयोग को ऊपर पैरा 23 में यथाउल्लिखित यह रिपोर्ट भेजी है कि उससे छेड़छाड़ की गयी है, तो वह पूर्वगामी पैरा में उल्लिखित कोई भी उपाय करने से पहले आयोग के निदेशों की प्रतिक्षा करेगा। जहां आयोग प्रभावित पोलिंग स्टेशनों (स्टेशनों) पर नये मतदान कराये जाने के निदेश देता है वहां सभी अन्य पोलिंग स्टेशनों पर मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मतगणना स्थगित कर दी जायेगी। ऐसे मामलें में सभी वोटिंग मशीनें तथा निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज पत्र भी रिटर्निंग आफिसर के द्वारा मुहरबंद (सील) करी दी जाएंगी। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता जो प्रत्येक वोटिंग मशीन तथा पैकेट जिसमें निर्वाचन से संबंधित कागज पत्र रखे हुऐ हैं आदि पर अपनी मुहर (सील) लगाने की इच्छा रखता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी। इस प्रकार स्थगित मतगणना का कार्य नये मतदान हो जाने के बाद उस तारीख को और समय पर जो रिटर्निंग आफिसर नियत करें पुनः प्रारंभ किया जायेगा तथा ऊपर विहित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जायेगा।

31.2 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के संचालन की देखभाल करने के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक को रिटर्निंग आफिसर को परिणाम घोषित किये जाने के पूर्व किसी भी समय मतों की मतगणना रोकने का परिणाम घोषित नहीं करने का निदेश देने की शक्ति है। यदि उनकी राय में बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशनों पर या मतगणना स्थान पर बूथ कैपचरिंग हुई है

या निर्वाचन वोटिंग मशीन या डाक मतपत्र अवैध रूप से रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से बाहर ले जाये गये हैं या संयोगवश या आशयपूर्वक नष्ट किये गये हैं या क्षति ग्रस्त किये गये हैं या उनके साथ छेड़छाड़ की गयी है। ऐसे मामलों में निर्वाचन कार्यवाही निर्वाचन आयोग के ऐसे निदेशों के अनुसार आगे बढ़ेगी, जो वह पर्यवेक्षक के रिपोर्ट और समस्त महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात जारी करें।

32. मतगणना के पश्चात वोटिंग मशीनों का पुनः मुद्राबंद किया जाना

32.1 कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम अभ्यर्थीवार अभिनिश्चित कर लेने और प्ररूप 17–ग के ''भाग ॥ मतगणना का परिणाम'' में और प्ररूप 20 में अन्तिम परिणाम पत्र में प्रविष्ट कर लेने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को रिटर्निंग आफिसर की मुद्रा और अयोग की गुप्त मुद्रा से पुनः मुद्राबंद किया जायेगा।

32.2 पुनः मुहरबंद ऐसी रीति से किया जायेगा कि कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान परिणाम नहीं मिटे और यूनिट ऐसा परिणाम स्मृति को बनाये रखे।

32.3 कंट्रोल यूनिट का पूर्वाक्त पुनः मुहरबंद निम्नलिखित रीति से किया जायेगाः–

(i) कंट्रोल यूनिट के कैण्डीडेट सेट अनुभाग से बैटरी हटा दी जायेगी। बैटरी को हटाने के पश्चात केण्डीडेट सेट अनुभाग के आवरण को पुनः मुद्राबंद किया जायेगा।

नोट– यह ध्यान रहे कि बैटरी का हटाया जाना आवश्यक है ताकि यह समय के साथ फूले नहीं और मशीन को नुकसान न करे। तथापि बैटरी का हटाया जाना यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान के परिणाम को नहीं मिटायेगा, क्योंकि यूनिट बिना बैटरी के भी अपनी स्मृति को बनाये रखेगी।

(ii) परिणाम अनुभाग का बाहरी आवरण बंद किया जायेगा और उसे पुनः मुद्राबंद किया जायेगा।

(iii) इस प्रकार से पुनः मुद्राबंद की गयी कंट्रोल यूनिट को वापस इसके कैरिंग केस में रखा जायेगा।

(iv) कैरिंग केस को पुनः मुद्राबंद किया जायेगा।

(v) कैरिंग केस के हैंडिल से एक पहचान टैग कसकर बांधा जायेगा, जिसमें निर्वाचन का विवरण निर्वाचन क्षेत्र का नाम, पोलिंग स्टेशन, जहां कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया गया था, का विवरण, कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख होगी।

32.4 अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतगणना अभिकर्ताओं को भी, यदि वे चाहें तो वोटिंग मशीनों पर अपनी मुद्रा लगाने की अनुमति दी जाती है। मतगणना अभिकर्ताओं को उस अभ्यर्थी के हित में जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे इन मशीनों पर अपनी मुद्रा लगायें। इससे उनके अभ्यर्थियों का समाधान हो जायेगा कि उसमें रिकार्ड किये गये मतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं ह।। तथापि, जहां स्वयं अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने ऐसी मुद्रा लगा दी है, वहां मतगणना अभिकर्ताओं को अपनी मुद्रा पृथकतः लगाने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट –I
(पैरा 7.1)
प्ररूप–18
मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति
(नियम 52 (2) देखिये)

.....निर्वाचन क्षेत्र से .....
..... के लिये निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

मैं, ... जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ/ ..... का, जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता हूँ .... पर मतों की गणना में उपस्थित रहने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को इसके द्वारा अपने मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूँ:–

मतगणना अभिकर्ता का नाम	मतगणना अभिकर्ता का पता
1.	
2.	
3	
आदि	

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

हम ऐसे मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1.

2.

3.

आदि

स्थान :.....

तारीख :..... **मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर**

मतगणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए)

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम उपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 जिसे हमने पढ़ लिया है/जो हमें पढ़कर सुना दी गई है, द्वारा निषिद्ध कोई बात नहीं करेंगे।

1.

2.

3.

आदि

तारीखः..... मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई।

तारीख :.....

रिटर्निंग आफिसर

जो विकल्प समुचित न हों, उसे काट दीजिये।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128:

128. मतदान की गोपनीयता को बनाये रखनाः (1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी मतगणना करने से सम्बद्ध किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिये संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

परिशिष्ट –II

(पैरा 9.2)
(नियम 52 (4) देखिये)

प्ररूप–19
मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

..... के लिये निर्वाचन।

सेवा में,
रिटर्निंग ऑफिसर,

मैं ..... जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी(..... का निर्वाचन अभिकर्ता) हूँ, अपने/उसके मतगणना अभिकर्ता ..... की नियुक्ति एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं।

स्थान : .....
तारीखः ..... प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

यहां निम्नलिखित विकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :–

(1) ..... निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ..... राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ..... (संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचन मंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद्।

कृपया ध्यान दीजिये :– ( ) से चिन्हित आवश्यकतानुसार छोड़ दीजिये।

परिशिष्ट –III

(पैरा 26)

प्ररूप–17–ग

(नियम 49–ध और 56–ग(2) देखिये)

भाग–I रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

..... निर्वाचन क्षेत्र से .....

.....लोक सभा/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिये निर्वाचन।

पोलिंग स्टेशन की संख्या और नाम 75–क ख ग

पोलिंग स्टेशन में प्रयुक्त		कंट्रोल यूनिट संख्याः बैलेटिंग यूनिट संख्याः
1. पोलिंग स्टेशन पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या		995
2. मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17–क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या		761
3. नियम 49–ण के अधीन मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की सख्यां		2
4. नियम 49–ड के अधीन मतदान करने की अनुमति न दिये गये मतदाताओं की संख्या		1
5. वोटिंग मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या		758
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या, मत 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने की अनुमति न दिये गये मतदाताओं की संख्या (2–3–4) से मेल करती है या कोई फर्क पाया गया है।		हॉ, मेल करती है
7. उन मतदाताओं की संख्या, जिन्हें नियम 49–त के अधीन निविदत मतपत्र जारी किये गये		3
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या		

		क्र. सं. से तक	
(क) प्रयोग के लिये प्राप्त	(10)	00981	00990
(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये	(3)	00981	00983
(अ) प्रयुक्त न किये गये और वापस लिये गये	(7)	00984	00990

पेपर सीलों का लेखा	क्रम संख्या
9.	
1. प्रदाय की गयी पेपर सीलों की क्रम संख्याएं	क 009758 से क 009760 तक क 009758 से क 009760 तक

2.	प्रदत्त किये गये पेपर सीलों की कुल संख्या	3
3.	प्रयोग में लाई गयी पेपर सीलों की संख्या	1 (क 009758)
4.	रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर की संख्या (मद 2 में से मद 3 घटाने पर)	2
5.	नष्ट हुई पेपर सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई हो	शून्य

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

स्थान : .....

तारीख : .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

पोलिंग स्टेशन संख्या:.....

भाग–II मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1.	क	109
2.	ख	59
3.	ग	77
4.	घ	263
5.	ङ	38
6.	च	2
7.	छ	51
8.	ज	65
9.	झ	94
योग		758

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या, भाग की मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या दोनों की योगों में कोई फर्क हैः मेल करती है।

स्थान : .....

तारीख : ..... मतगणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ताओं का नाम पूरे हस्ताक्षर

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7.
8. ....
9. ....

स्थान : .....

तारीख : ..... **रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर**

–: विषय सूची :–

1.	प्रस्तावना	2
2.	मतगणना अभिकर्ताओं की भूमिका	2
3.	निर्वाचनों में वोटिंग मशीन पद्धति का सूत्रपात	3
4.	वोटिंग मशीनों का संक्षिप्त परिचय	3
5.	मतगणना अभिकर्ताओं के लिए अर्हताएं	5
6.	नियुक्त किए जाने वाले मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या	6
7.	मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति	7
8.	मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करने के लिए समय सीमा	7
9.	मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण	8
10.	मतगणना अभिकर्ता का मतगणना हॉल में प्रवेश	8
11.	मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैज	9
12.	मतगणना हॉल में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना	9
13.	मतगणना हॉल के भीतर धूम्रपान प्रतिनिषिद्ध है	10
14.	मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था	10
15.	मतगणना मेजों के अवरोध की व्यवस्था	10
16.	गोपनीयता बनाए रखना	11
17.	मतगणना कार्मिकों का रेण्डामाइजेशन	11
18.	मतगणना का जारी रहना	13
19.	डाक मतपत्रों की मतगणना सबसे पहले की जाएगी	13
20.	पोलिंग स्टेशनों पर डाले गये मतों की मतगणना	17
21.	कंट्रोल यूनिटों पर लगी मुद्राओं की जांच	19
22.	कंट्रोल यूनिटों के कैरिंग केसों का खोला जाना	19
23.	कंट्रोल यूनिट पर मुद्राओं और पहचान चिन्हों की जांच करना	20
24.	पेपर सील की क्रम संख्या का मिलान	20
25.	यदि कंट्रोल यूनिटें छेड़छाड़ की हुई पाई जायें तो उनका अलग रखा जाना	21
26.	परिणाम अभिनिश्चित करना	22
27.	प्ररूप 17–ग का ''भाग II मतगणना का परिणाम'' को पूर्ण करना	24
28.	अन्तिम परिणाम पत्र तैयार किया जाना	25
29.	पुनर्गणना	25
30.	नये मतदान की स्थिति में मतगणना का स्थगित किया जाना	27
31.	मतगणना के पश्चात् वोटिंग मशीनों का पुनः मुद्राबंद किया जाना	28
	परिशिष्ट– I मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति	30
	परिशिष्ट– II मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण	32
	परिशिष्ट– III भाग– I रिकार्ड किए गये मतों का लेखा	33
	परिशिष्ट– III भाग– II मतगणना का परिणाम	35